प्रेस नोट **04/07/2024**

रेनिंग सीजन को लेकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जन–धन की सुरक्षा एवं आमजन की सुविधा और राहत एवं बचाव कार्य के दृष्टिगत विशेष सर्तकता बरते जाने के क्रम में **आज दिनांक 04.07.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों/तटबंधों का भ्रमण कर शांति/सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।** इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना मधुबन क्षेत्र में बाढ़ से निपटने के लिये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बनी अस्थायी पुलिस चौकी परसिया जयरामगिरी बंधा व अस्थायी पुलिस चौकी नई बस्ती दुबारी एवं स्थायी पुलिस चौकी दुबारी का गहन निरीक्षण किया गया तथा उक्त चौकियों में नियुक्त (01–01 उपनिरीक्षक व 04–04 आरक्षी) पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये। साथ ही साथ थाना/चौकियों में जाल, ट्यूब, रस्सी, टार्च व ड्रैगन लाइट एवं अन्य जरुरी संसाधनों के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक मधुबन को निर्देशित किया गया तथा बाढ़ के दौरान भ्रमणशील रहकर सतर्क दृष्टि बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 04.07.2024 को **पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा थाना मधुबन का औचक निरीक्षण किया गया** जिसमें थाना कार्यालय के त्यौहार रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, जनसुनवाई रजिस्टर, आदि का अवलोकन किया गया तथा अभिलेखों को ससमय अभिलेखित करने व गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, एचएस में त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान भ्रमण कर सीसीटीएनएस शाखा, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, बंदीगृह, बैरक, भोजनालय, निर्माणाधीन बैरक व आदि का निरीक्षण कर व व महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला आरक्षी से प्रार्थना पत्रों को गम्भीरतपूर्वक सुनने तथा निस्तारण के बाद नियमित फीडबैक लेने हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही साथ थाना परिसर में भ्रमण कर साफ–सफाई इत्यादि का निरीक्षण किया गया तथा साफ सफाई उच्च स्तर का बनाये रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक मधुबन व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

साथ ही साथ आगामी **श्रावण मास/कांवण यात्रा एवं मोहर्रम त्यौहार पर शांति/सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के दृष्टिगत मधुबन कस्बे के मिश्रित आबादी/भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस–पास पैदल गस्त किया गया** तथा अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक मधुबन श्री रवीन्द्र नाथ राय सहित पुलिस कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 03 दोषसिद्ध अभियुक्त को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा अवधि व अर्थदंड से हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम/एसडी जनपद मऊ द्वारा दिनांक 04–07–2024 को क्रमशः मु0अ0सं0 140/2017, 02/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्तगण रामसरीख पुत्र पूर्णमासी निवासी टमठा व रामसुमेर गुप्ता पुत्र श्रीकांत निवासी फूलपुर थाना मधुबन जनपद मऊ, को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा अवधि एवं ₹2200–2200 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा। साथ ही साथ मु0अ0स0 91/2019 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मधुबन दोषसिद्ध अभियुक्त दूधनाथ पुत्र फुंजर निवासी टमठा थाना मधुबन को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा व 2100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी सिताबु शाह थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।